राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

'आर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन'

दिनांक 10-14 जुलाई 2017

कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 10.07.2017 से 14.07.2017 तक 'आर्ट ऑफ सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन' विषय पर पांच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 04 एवं उप अधीक्षक पुलिस स्तर के 17, कुल 21 अधिकारियों ने भाग लिया।

THE MORE YOU
SWEAT IN TRAINING
THE LESS YOU
BLEED IN BATTLE

इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान के पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, उनके ज्ञान और कौशल को समीचीन, प्रासंगिक और अद्यतन बनाना है जिससे अनुसंधान के स्तर में सुधार होकर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। कोर्स में विभिन्न क्षेत्रों व विधाओं यथा न्यायिक सेवा, फोरन्सिक विशेषज्ञ, रेवेन्यु एवं प्रशासन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, साइबर एवं बैकिग फ्रॉड विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिये गये।

प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री एम.एम. अत्रे, महानिरीक्षक पुलिस (सेवानिवृत्त) ने भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित मानव शरीर संबंधी अपराधों एवं सम्पत्ति संबंधी अपराधों के अनुसंधान एवं उसके पर्यवेक्षण के संबंध में ध्यान रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान की। श्री शाकिर परवेज, साइबर क्राइम एक्सपर्ट ने 'क्रेडिट कार्ड एवं बैंक धोखधड़ी' पर साइबर अपराधों में साक्ष्य संकलन किस प्रकार किया जावे पर विस्तृत रूप से बताया। श्री मुकेश यादव, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने सीडीआर विश्लेषण, मोबाइल फोन व इन्टरनेट के उपयोग से आर्थिक अपराधों का पता लगाने, साक्ष्य एकत्रित करने एवं इस प्रकार के अपराधों में अनुसंधान के दौरान ध्यान देने योग्य बातों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान श्री जी.एल. शर्मा, महानिरीक्षक पुलिस (सेवानिवृत्त) ने प्रतिभागियों को पर्यवेक्षण का महत्व समझाते हुए गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए तथा अधीनस्थों के मार्ग दर्शन के लिए पर्यवेक्षण की क्षमता में विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्री योगेन्द्र जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत्त) ने न्यायिक प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री उमेश शर्मा, जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) ने अनुसंधान में रहने वाली प्रमुख गलतियों के बारे में बताते हुए अभियुक्तों के दोष मुक्त होने के कारण बताए और पर्यवेक्षण अधिकारियों से उनका निराकरण करने की अपील की। अन्तिम सत्र में डॉ. लोकेश चतुर्वेदी, आरपीए ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या संबंधी मुद्दों पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

श्री भगवान लाल सोनी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एस.डी.आर.एफ., राजस्थान ने प्रतिभागियों को अनुसंधान में प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न आयामों/पक्षों का विस्तृत उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया कि अनुसंधान की कार्य योजना प्रथम केस डायरी में ही उल्लेखित की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अनुसंधान करने से अनुसंधान में कमियाँ रहने की सम्भावना लगभग नगण्य रह जाती है।

श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने अनुसंधान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की सहायता लेने और विशेषज्ञ राय प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के महत्व को समझाते हुए इन्हें प्राप्त करने की प्रकिया की विस्तृत व्याख्या की। श्री जे. के. सचदेवा आईएएस (सेवानिवृत) ने 'Overview of RTI' एवं श्री आलोक कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ बैंकर ने भी इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया। अंतिम सत्र में श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, सहायक निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम.) ने 'महिलाओं के विरूद्ध अपराध- दहेज मृत्यु, हमला एवं बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम 2012 तथा इन अपराधों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य बातें, विशेष प्रक्रिया एवं साक्ष्य अधिनियम' में इन अपराधों से संबंधित उपधारणाऐं एवं विशेष प्रावधान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। प्रतिभागियों को इन विषयों पर लघु वीडियो फिल्मस भी दिखाई गई ।

श्री आर.एस. बत्रा, आर.ए.एस.(सेवानिवृत्त) द्वारा जमीन संबंधी विवादों के संबंध में व्याख्यान दिया गया। उन्होंने जमीन संबंधी विवादों के अनुसंधान में ध्यान रखने योग्य दीवानी विधि के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा, स्वामित्व भू हस्तान्तरण, कब्जा, आदि के संबंध में विस्तार से बताया । श्री सुमन्ता दत्ता, प्रोफेसर एण्ड हैड, फोरेन्सिक मेडिसिन, एस.एम.एस. हॉस्पिटल, जयपुर ने मेडिको-लीगल परीक्षण के विभिन्न आयामों तथा विधाओं के बारे में बताया। श्री हेमन्त नाहटा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए नवीनतम न्यायिक निर्णयों एवं संशोधनों के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने बच्चों एवं महिलाओं संबंधी अपराधों के अनुसंधान पर व्याख्यान देते हुए नवीनतम प्रावधानों की जानकारी दी।

प्रशिक्षण के समापन सत्र में श्री डी.सी. जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर ने प्रतिभागियों को अधीनस्थों पर नियन्त्रण के लिए आचरण नियमों के तहत कार्यवाही करने की प्रक्रिया समझाते हुए उनके द्वारा हाल ही में जारी सर्कुलर्स में उल्लेखित प्रमुख बातों के बारे में बताया। उन्होंने अनुसंधान में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के महत्व को समझाते हुए जानबूझ कर गलत अनुसंधान करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध आचरण नियमों के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि अपराध और दुराचरण के अन्तर को बारीकी से समझने की आवश्यकता है तथा उन्होंने कोर्स की सराहना करते हुए प्रतिभागियो को मार्गदर्शन दिया तथा उनका उत्साहवर्धन करते हुए सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रतिभागी श्री दशरथ सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर एवं श्री ब्रजराज सिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, कुशलगढ बांसवाडा ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा कोर्स को अत्यन्त उपयोगी व सफल बताया ।

प्रशिक्षण के अन्त में कोर्स निदेशक श्री सौरभ कोठारी, सहायक निदेशक (इण्डोर) ने मुख्य अतिथि एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कोर्स सधन्यवाद सम्पन्न हुआ।